

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-33/लैटे / (1149)/2019/

दिनांक

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से रोवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से नि तिथि
1	श्री बनवारी लाल यादव, वरि लै टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहरोड (अलवर)	15.05.1959	31.05.2019
2	श्री अतर सिंह वरि0लै टे	अधीक्षक श्वसन रोग संस्थान जयपुर।	03.02.1960	29.02.2020

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध -

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1983 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान, जयपुर

दिनांक

13/05/19

क्रमांक - ई-33/लैटे / (1149)/2019/ 302

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक पेशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जयपुर।
- 3 अधीक्षक श्वसन रोग संस्थान जयपुर।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
- 5 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहरोड, अलवर।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 7 संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 8 प्रभारी, डीपीसी अनुभाग अराजप्रति मुख्यालय।
- 9 आदेश/रहित पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर